न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ०प्र० राज्य	**विशेष सत्र प्रकरण सं०-251/2026**
प्रति	**अपराध क्र०-150/2026**
राजेश कुमार दूबे	**धारा-137(2), 87, 65(1) बी०एन०एस० एवं धारा-3/4(2) पाक्सो एक्ट**
	सी०एन०आर० क्र०-UPBP010021242026
	पुलिस थाना-कोतवाली देहात
	जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

प्रारम्भिक आदेश

(आज दिनांक-03.08.2026 को पारित)

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला उपस्थित

अभियुक्त की ओर से श्री रणेन्द्र नाथ त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित

पुकारा गया। **अभियुक्त राजेश कुमार दूबे जिला कारागार, बलरामपुर से तलब होकर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय उपस्थित।** उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने की प्रस्थापना किया।

आरोप विरचना के सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर **अभियुक्त राजेश कुमार दूबे के विरूद्ध धारा-137(2), 87, 65(1) बी०एन०एस० एवं धारा-3/4(2) पाक्सो एक्ट** के अधीन प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होता है। अतः उसे तद्नुसार आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आरोप पृथक प्रपत्र पर तद्नुसार विरचित किया जाये।

पत्रावली **दिनांक 17.08.2026** को साक्ष्य हेतु पेश हो।

अभियोजन साक्षीगण उक्त नियत तिथि के लिए आहूत किये जायें।

अभियुक्त भी उक्त नियत तिथि को जिला कारागार से तलब होकर उपस्थित हो।

दिनांक-03.08.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

उ०प्र० राज्य	**विशेष सत्र प्रकरण सं०-251/2026**
प्रति	**अपराध क्र०-150/2026**
राजेश कुमार दूबे	**धारा-137(2), 87, 65(1) बी०एन०एस० एवं धारा-3/4(2) पाक्सो एक्ट**
	सी०एन०आर० क्र०-UPBP010021242026
	पुलिस थाना-कोतवाली देहात
	जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

आरोप-विवरण

मैं, राहुल सिंह-II, विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) आप अभियुक्त **राजेश कुमार दूबे** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ कि:-

1. यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक-25.04.2026 को पूर्वाह्न लगभग 10.20 बजे घटनास्थल पुलिस थाना-कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर से 10 किलो मीटर दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित बहद ग्राम नैनपुर सोनपुर में फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जोकि घटना के समय 15 वर्ष 03 माह की एक बालिका थी, को विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि **भारतीय न्याय संहिता की धारा-137(2)** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त तिथि, समय एवं स्थान पर फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीडिता उम्र 15 वर्ष 03 माह को बहला-फुसलाकर इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में व्यपहृत किया कि वह विवाह करने के लिए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी या उत्प्रेरित की जायेगी, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जो कि **भारतीय न्याय संहिता की धारा-87** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि आप अभियुक्त ने उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय 15 वर्ष 03 माह (16 वर्ष से कम आयु) थी, उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्संग किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया जोकि **भारतीय न्याय संहिता की धारा-65(1)** के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि आप अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी की नाबालिग पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र घटना के समय 15 वर्ष 03 माह (16 वर्ष से कम आयु) थी, उसकी योनि में अपना लिंग किसी सीमा तक प्रवेश कराकर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया, इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-3/4(2)** के अधीन दण्डनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आपका परीक्षण उक्त आरोप के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक-03.08.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)

विरचित किया गया आरोप विधि अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण किए जाने की मांग की।

दिनांक-03.08.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.08.03 16:46:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court